रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 191] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 23, 2004/फाल्गुन 4, 1925
No. 191] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 23, 2004/PHALGUNA 4, 1925

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 2004

का.आ. 229(अ).—केन्द्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 301, तारीख 27 फरवरी, 1971 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में,—

(i) मद (xvii) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

धारा 4 की उपधारा (3) के खण्ड (xvii) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्य	**(अवधि जिसके लिए नामनिर्दिष्ट किया गया है)**
"(xvii) निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, आंध्र प्रदेश सरकार, हैदराबाद।	(नामनिर्देशन की तारीख अर्थात् 14 नवम्बर, 2003 से तीन वर्ष की अवधि के लिए)";

(ii) मद (xviii) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

धारा 4 की उपधारा (3) के खण्ड (xviii) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्य	
"(xviii) (क) कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ।	(नामनिर्देशन की तारीख अर्थात् 14 नवम्बर, 2003 से तीन वर्ष की अवधि के लिए)";
(ख) कृषि आयुक्त/निदेशक, महाराष्ट्र सरकार, पूणे।	(नामनिर्देशन की तारीख अर्थात् 14 नवम्बर, 2003 से तीन वर्ष की अवधि के लिए)";

(iii) मद (xix) (ख) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

धारा 4 की उपधारा (3) के खण्ड (xix) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्य	
"(xix) (ख) निदेशक, व्यवसाय स्वास्थ्य का राष्ट्रीय संस्थान, अहमदाबाद।	(नामनिर्देशन की तारीख अर्थात् 14 नवम्बर, 2003 से तीन वर्ष की अवधि के लिए)";

(iv) मद (xx) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

धारा 4 की उपधारा (3) के खण्ड (xix) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्य	
"(xx) डा. जे.एस. यादव, निदेशक, भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद।	(नामनिर्देशन की तारीख अर्थात् 14 नवम्बर, 2003 से तीन वर्ष की की अवधि के लिए)";

[फा. सं. 19-1/2000-पीपी-I]
प्रेम नारायण, संयुक्त सचिव

टिप्पण :—मूल अधिसूचना सा.का.नि. 301, तारीख 27 फरवरी, 1971 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी और पश्चात्वर्ती संशोधन निम्नलिखित द्वारा किए गए थे।

(i) सा.का.नि. 1216, तारीख 19 अगस्त, 1971,
(ii) सा.का.नि. 478 (अ), तारीख 10 अगस्त, 1976,
(iii) का.आ. 848(अ), तारीख 25 अक्तूबर, 1989,
(iv) का.आ. 528(अ), तारीख 19 जुलाई, 1993,
(v) का.आ. 849(अ), तारीख 20 अक्तूबर, 1995,
(vi) का.आ. 346(अ), तारीख 24 अप्रैल, 1997,
(vii) का.आ. 70(अ), तारीख 20 जनवरी, 1998,
(viii) का.आ. 132(अ), तारीख 24 फरवरी, 1999,
(ix) का.आ. 807(अ), तारीख 6 सितम्बर, 2000,
(x) का.आ. 1095(अ), तारीख 7 दिसम्बर, 2000,
(xi) का.आ. 12(अ), तारीख 5 जनवरी, 2001,
(xii) का.आ. 1167(अ), तारीख 23 नवम्बर, 2001 और
(xiii) का.आ. 1025(अ), तारीख 5 सितम्बर, 2003।

IndiaCode

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Co-operation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd February, 2004

S.O. 229(E).—In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation number G.S.R. 301, dated the 27th February, 1971, namely :—

In the said notification,—

(i) for item (xvii) and the entries relating thereto, the following item number and entries shall be substituted, namely :—

Member nominated under clause (xvii) of sub-section (3) of Section 4 :	**(Period upto which nominated)**
"(xvii) Director of Health Services, Government of Andhra Pradesh, Hyderabad.	(For a period of three years with effect from the date of nomination, namely, the 14th November, 2003)";

(ii) for item (xviii) and the entries relating thereto, the following item number and entries shall be substituted, namely :—

Member nominated under clause (xviii) of sub-section (3) of Section 4 :	
"(xviii) (a) Director of Agriculture, Government of Uttar Pradesh, Lucknow.	(For a period of three years with effect from the date of nomination, namely, the 14th November, 2003)";
(b) Commissioner/Director of Agriculture Government of Maharashtra, Pune.	(For a period of three years with effect from the date of nomination, namely, the 14th November, 2003)";

(iii) for item (xix) (b) and the entries relating thereto, the following item number and entries shall be substituted, namely :—

Member nominated under clause (xix) (b) of sub-section (3) of Section 4 :

"(xix) (b) Director, National Institute of Occupational Health, Ahmedabad.	(For a period of three years with effect from the date of nomination, namely, the 14th November, 2003)";

(iv) for item (xx) and the entries relating thereto, the following item number and entries shall be substituted, namely :—

Member nominated under clause (xx) of sub-section (3) of Section 4 :

"(xx) Dr. J. S. Yadav, Director, Indian Institute of Chemical Technology, Hyderabad.	(For a period of three years with effect from the date of nomination, namely, the 14th November, 2003)";

[F. No. 19-1/2000-PP-I]

PREM NARAIN, Jt. Secy

Note :—The Principal notification was published in the Gazette of India *vide* number G.S.R. 301, dated 27th February, 1971 and subsequently amended *vide* :—

(i) G.S.R. 1216, dated the 19th August, 1971,

(ii) G.S.R. 478(E), dated the 10th August, 1976,

(iii) S.O. 848(E), dated the 25th October, 1989,

(iv) S.O. 528(E), dated the 19th July, 1993,

(v) S.O. 849(E), dated the 20th October, 1995

(vi) S.O. 346(E), dated the 24th April, 1997,

(vii) S.O. 70(E), dated the 20th January, 1998,

(viii) S.O. 132(E), dated the 24th February, 1999,

(ix) S.O. 807(E), dated the 6th September, 2000,

(x) S.O. 1095(E), dated the 7th December, 2000,

(xi) S.O. 12(E), dated the 5th January, 2001,

(xii) S.O. 1167(E), dated the 23rd November, 2001, and

(xiii) S.O. 1025(E), dated the 5th September, 2003.

IndiaCode

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.